न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रेम बनाम रामसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 378/2025 (पुष्कर)

श्री महेन्द्रसिंह चौहान

04.08.2025

प्रेम कंवर बनाम रामसिंह वगैरह (2025/378)

यह अपील श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 23/2019 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्कारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को प्रार्थना को दर्ज विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायायल में विचाराधीन प्रकरण में तारीख पेशीया दी जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 04.09.2024 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.10.2024 को 30 दिवस में निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना नहीं की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के लगभग 9 माह तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया गया है तथा साथ ही अपील के साथ संलग्न विक्रय पत्र में भी वादग्रस्त आराजीयात का बेंचान किया जाना प्रतीत होता है अतः वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना है।

माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्भाविक वाद–विवाद मौजूद है। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रेम बनाम रामसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 378/2025 (पुष्कर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें तब तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए संख्या 378 /2025 जिला अजमेर

2025/378

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नि श्री अमरसिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमरसिंह
3. सुभाषसिंह पुत्र श्री अमरसिंह
4. श्रीमती सुरेश कंवर पुत्री श्री अमरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

— अपीलांट्स

बनाम्

1. रामसिंह पुत्र गोकलसिंह
2. श्रीमती गोपाल कंवर पत्नि श्री रामसिंह
3. भवानीसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

4. उप पंजीयक महोदय पुष्कर जिला अजमेर।
5. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुष्कर जिला अजमेर।
6. प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर जिला अजमेर।
7. सहकारी मिनी बैंक कडैल जरिये प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, पुष्कर जिला अजमेर।

— रेसपोडेन्ट्स

378/2025
4.8.25

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
4/8/25